

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/AKAM/2022/SL

दिनांक : 30/07/2022

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक।

विषय - राज्य सरकार द्वारा "आजादी का अमृत महोत्सव" के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2022 को प्रातः 10.15 बजे राजस्थान राज्य के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं द्वारा पूरे प्रदेश में एक समय में देशभक्ति के गीतों का गायन कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर का पत्रांक: प. 24(5)शिक्षा-6/AKAM/2021 दिनांक : 27.07.2022 एवं 29.07.2022 तथा 29.07.022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "आजादी का अमृत महोत्सव" के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2022 को प्रातः 10.15 बजे राजस्थान राज्य के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं द्वारा पूरे प्रदेश में एक समय देशभक्ति के गीतों का गायन किया जाना है। यह कार्यक्रम राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर तथा स्कूल स्तर पर आयोजित किया जाना है।

कार्यक्रम के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सीआर-1, शासन सचिवालय, जयपुर में दिनांक : 29.07.2022 को दोपहर 3.30 बजे से 4.30 बजे सभी Stakeholders के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु शासन का प्रासंगिक पत्र मय एजेण्डा बिन्दु की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त बैठक पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेना सुनिश्चित करने एवं जिला स्तर के अन्य अधिकारियों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर बैठक में भाग लेने हेतु अवगत करवाने बाबत निर्देशित किया गया था।

उल्लिखित बैठक के क्रम में प्रासंगिक आदेश दिनांक : 29.07.2022 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक : 27.07.2022 के क्रम सं० 19 पर वर्णित समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) (VC के माध्यम से) संशोधित पढ़ा जाने एवं दिनांक : 29.07.2022 की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाकर उक्त बैठक दिनांक : 30.07.2022 को सायं 3.00 बजे से 4.00 बजे आयोज्य होगी।

संलग्न - यथोक्त।

सत्यमेव जयते

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :

क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/AKAM/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान-सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प.24(5)शिक्षा-6 / AKAM / 2021

जयपुर, दिनांक : 29/7/2022

संशोधित बैठक सूचना

इस विभाग की समसंख्यक बैठक सूचना दिनांक 27.07.2022 के क्रम में मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2022 को सांय 03.30 बजे से 04.30 बजे तक आयोजित बैठक अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। उक्त बैठक अब दिनांक 30.07.2022 को सांय 03.00 बजे से 04.00 बजे तक शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष संख्या-1 में आयोजित की जा रही है, जिनमें सभी Stakeholders के साथ निम्नांकित हितधारकों एवं अधिकारीगणों की उपस्थिति प्रार्थनीय है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. शासन सचिव, खेल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. अतिरिक्त महानिदेशक, यातायात विभाग।
9. आयुक्त, यातायात विभाग।
10. प्रशासक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर। (VC के माध्यम से)
11. समस्त कलेक्टर राजस्थान। (VC के माध्यम से)
12. उपायुक्त, पुलिस यातायात, जयपुर। (VC के माध्यम से)
13. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/सरकारी शिक्षा राजस्थान, बीकानेर/जयपुर।
14. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग। (VC के माध्यम से)
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
17. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर। (VC के माध्यम से)
18. समस्त जिला मुख्यालयों के नगर निगम/नगर परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त। (VC के माध्यम से) सत्यमेव जयते
19. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा। (VC के माध्यम से)
20. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक। (VC के माध्यम से)
21. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) (VC के माध्यम से)
22. समस्त जिला खेल अधिकारी। (VC के माध्यम से),
23. समस्त जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी। (VC के माध्यम से)

नोट:- V/C लिंक पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा।

(मो. सलीम खान)
शासन उप सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. शासन सचिव, खेल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त महानिदेशक, यातायात विभाग।
10. आयुक्त, यातायात विभाग।
11. प्रशासक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
12. समस्त कलेक्टर राजस्थान।
13. उपायुक्त, पुलिस यातायात जयपुर।
14. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा राजस्थान, बीकानेर/जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त जिला स्तर के अधिकारियों को बैठक संबंधी सूचना को आप अपने स्तर पर अवगत कराना सुनिश्चित करावें।
15. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
16. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, विभाग।
18. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
19. समस्त जिला मुख्यालयों के नगर निगम/नगर परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त।
20. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
21. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
22. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी। (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
23. समस्त जिला खेल अधिकारी।
24. समस्त जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
25. उप पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक व्यवस्थार्थ।


शासन उप सचिव

बैकूक हेतु प्रस्तावित एजेण्डा बिन्दु

1. राज्य स्तर पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम की रूपरेखा
2. जिला, ब्लॉक व स्कूल स्तर पर कार्यक्रम की रूपरेखा
3. कार्यक्रम स्थलों का चयन
4. राज्य, जिला व ब्लॉक स्तरीय कमेटियों का गठन
5. विद्यार्थियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था
6. कार्यक्रम स्थलों पर पीने के पानी, विद्युत, सफाई तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ
7. गीतों का अभ्यास करवाया जाना
8. जिला मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्रीगणों की भागीदारी के संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्देश जारी करवाना
9. कार्यक्रम की फोटो व वीडियो अपलोड करवाने के संबंध में चर्चा
10. बजट व्यवस्था के संबंध में चर्चा
11. प्राइवेट स्कूलों की भागीदारी के संबंध में चर्चा
12. यातायात व्यवस्था पर चर्चा
13. कार्यक्रम को गिनीज बुक/लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने के संबंध में चर्चा
14. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

सत्यमेव जयते